उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या- 14 /1906/26-3-2014

लखनऊ- दिनांक 28 अक्टूबर, 2014

कार्यालय-आदेश

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष 2014-15 हेतु गतिमान है। विभिन्न विभागों द्वारा उपरोक्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने हेतु प्रख्यापित नियमावलियों के अनुसार शिक्षण संस्थानों, उनमें संचालित योजनाओं के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों की निर्धारित फीस आदि को आनलाइन भरने का काम संबंधित शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया गया है। उक्तानुसार तैयार मास्टरडाटा के अनुसार संबंधित विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। एन0आई0सी0 राज्य इकाई द्वारा विकसित छात्रवृत्ति की वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर प्रोसेसिंग के समय उक्त मास्टर डाटाबेस में पाठ्यक्रमों की भरी गयी फीस के अनुसार नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत मांग जनरेट होगी। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु जनपदीय कल्याण अधिकारियों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की भिन्न-भिन्न फीस अपने डिजिटल सिग्नेचर से लाक की गयी है।

2- एन0आई0सी0 राज्य इकाई से मास्टर डाटाबेस में जनपदीय कल्याण अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से लाक की गयी फीस का विभागवार आपस में मिलान एवं विश्लेषण कराया गया, जिससे यह संज्ञान में आया कि एक ही शिक्षण संस्थान में एक ही पाठ्यक्रम की फीस एक ही शिक्षण संस्थान में अलग-अलग भरी गयी है। सभी जनपदों में इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें एक ही शिक्षण संस्थान में एक ही पाठ्यक्रम की भरी गयी फीस में विभागवार आपस में काफी अंतर है।

3- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लाक की गयी फीस में भिन्नता के फलस्वरूप ऐसे समस्त प्रकरणों की सक्षम स्तर से निर्धारित वास्तविक फीस से मिलान/जांच एवं तदनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति के मास्टरडाटा में संशोधन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रदेश स्तर पर निम्नलिखित समिति की गठन किया जाता है -

1-	निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0	अध्यक्ष
2-	निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक से निम्नतर न हो	सदस्य सचिव
3-	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक से निम्नतर न हो	सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त समिति आवश्यकतानुसार माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(राज्य इकाई) आदि के संबंधित अधिकारियों को बैठक में सहायतार्थ आमन्त्रित कर सकती है।

5- उक्तानुसार गठित कमेटी ऐसे समस्त प्रकरणों में जनपदवार संबंधित विभागों के जनपदीय अधिकारियों को अपने समक्ष आवश्यक अभिलेखों के साथ बुलाकर तथा संबंधित शिक्षा विभाग से फीस निर्धारण संबंधीन आदेशों को प्राप्त कर शिक्षण संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग हेतु सक्षम स्तर से निर्धारित फीस की वास्तविक धनराशि के संबंध में अपनी आख्या दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। मास्टर डाटाबेस में भरी गयी फीस के आधार पर ही आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को देय धनराशि की मांग राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित तिथि तक जनरेट की जायेगी, जिसके लिए समिति को निर्धारित तिथि 30 नवम्बर, 2014 तक अपनी आख्या प्रस्तुत करना अपरिहार्य है। उक्त समिति यह भी सुनिश्चित कर लेगी कि समिति की बैठक हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भिन्नता वाले शिक्षण संस्थानों एवं उनमें विभागवार/वर्गवार लाक फीस आदि का विवरण संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण अधिकारी को प्राप्त हो जाये, जिससे बैठक हेतु निर्धारित तिथि पर संबंधित पाठ्यक्रम की सक्षम स्तर से निर्धारित वास्तविक फीस के संबंध में सही स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत हो सके।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

पृ0संख्या-1906(1)/26-3-2014 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, उ0प्र0 शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
8. कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in